संख्या-966/2017/2607/22-2-2017-17(616)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2017**

विषय:-जिला कारागार, मिर्जापुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मन्तोरा देवी पत्नी स्व0 अमरनाथ, निवासी जनपद-सोनभद्र की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा (एम 06.09.2016) दिनांक-04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 04.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष महिला बन्दी मन्तोरा देवी पत्नी स्व0 अमरनाथ, ग्राम पादी डोड खरहरा, थाना-चोपन, जनपद-सोनभद्र की निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दो पत्नीयों को रखे जाने से मना करने के कारण उत्पन्न हुए विवाद में दिनांक 19.05.2011 को समय लगभग 12.00 बजे तैश में आकर महिला बन्दी पहली पत्नी मन्तोरा देवी ने अपने पति अमरनाथ पर कुल्हाडी से वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-136/2011 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304 भाग-। में मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जनपद-सोनभद्र के आदेश दिनांक 23.12.2014 द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.09.2016 तक 05 वर्ष 03 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 08 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि सिद्धदोष बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी मन्तोरा देवी (बन्दी संख्या-114/2014) पत्नी स्व0 अमरनाथ, निवासी जनपद-सोनभद्र के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त महिला बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से महिला बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-966/2017/2607(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, मिर्जापुर।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-966/2017/2607/22-2-2017-17(616)/2017
दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मिर्जापुर में निरूद्ध महिला बन्दी मन्तोरा देवी (बन्दी संख्या-114/2014) पत्नी अमरनाथ, ग्राम पादी डोड खरहरा, थाना-चोपन, जनपद-सोनभद्र की निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दो पत्नीयों को रखे जाने से मना करने के कारण उत्पन्न हुए विवाद में दिनांक 19.05.2011 को समय लगभग 12.00 बजे तैश में आकर महिला बन्दी पहली पत्नी मन्तोरा देवी ने अपने पति अमरनाथ पर कुल्हाडी से वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-136/2011 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304 भाग-। में मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जनपद-सोनभद्र के आदेश दिनांक 23.12.2014 द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.09.2016 तक 05 वर्ष 03 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 08 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि सिद्धदोष बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।